




न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलज जज                      वनाम                      मु. सं.</p>
<p>21.03.25</p>	<p>आज पत्रावली पेश हुई वकील उमेश पक्ष उपस्थित वास्तु जवाब व तबनी दिनांक 06.06.2025 को पेश की</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      महवा (दोसा)                 </p> <p>दिनांक... 06.06.2025                      आज पत्रावली पेश हुई। वकील...                      पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बहर पधारते हैं। आज पत्रावली पेश की।                      पत्रावली पुरजुस्तार दिनांक ... 06.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       रीडर                 </p>
<p>06.08.25</p>	<p>आज पत्रावली पेश हुई वकील ग्रामी व स्वयं ग्रामी को रक - रक कर बार - बार आवाम दिल्ली गयी किन्तु कोई इपाकित नहीं आया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामी अपने आफ्ता के प्रति गंभीर नहीं है और आफ्ता को चलाय नहीं चाहते है</p> <p>अतः ग्रामी का आफ्ता अध्यापी निषेधाज्ञा अपन पेंची व अध्यापी हाजरी में स्वार्थ किंच जाल है पत्रावली फौज शुमार होकर मूल तर्फ जलान रहे</p> <p>आदेश सुनाय गया</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      महवा जिला दोसा                 </p>